

15/4/25

पत्रावली काज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान  
उपास्थित। मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो  
चुका है। मूल प्रार्थना का निस्तारण होने से  
स्थगन प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने  
का कोई औचित्य नहीं होने से मूल प्रार्थना पत्र  
के साथ-साथ उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र इली  
स्टर पर धारित किया जाता है। पत्रावली के तल  
शुमार होकर साबिले इफतर हो रकम नम्बर  
से कम है।



तारी

